F.No. NCBC/06/11/136/2019-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

श्री रोहित यादव एवं अन्य द्वारा प्राप्त शिकायत में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आरक्षण के नियमों का पालन न करने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 06.01.2021 समय 02: 30 बजे सुनवाई नियत की गयी।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. अतिरिक्त प्रमुख सचिव, सर्विस विभाग, दिल्ली सरकार
2. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार
3. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार
4. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री बिजू राज, उप सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार
2. श्री ब्रजमोहन, अनुभाग अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार
3. श्री मनविंदर सिंह, एस. डी. एम., राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार
4. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार
5. श्री भैरव दत्त, उप सचिव, सर्विस विभाग, दिल्ली सरकार

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री रोहित यादव
2. श्री मनीष कुमार
3. श्री रामानंद
4. श्री संजय यादव
5. श्री देवेन्द्र कुमार

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विवरण:

1. शिकायतकर्ता श्री रोहित यादव ने अपनी समस्या से आयोग को अवगत कराया कि उपरोक्त विषय के संबंध में दिनाँक 29.10.2020 को हुई सुनवाई में सर्विस विभाग ने अपनी गलती को स्वीकार किया था एवं यह आश्वासन भी दिया था कि 21 दिनों के भीतर अपनी गलती को सुधार कर आयोग को अवगत करवाएंगे।
2. सर्विस विभाग, दिल्ली सरकार ने पुनः अपनी गलती को स्वीकार किया एवं आयोग को अवगत करवाया कि आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होने के तुरंत बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी, विधि विभाग से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण कल ही प्राप्त हो चुका है एवं मामले को अंतिम अनुमोदन के लिए माननीय उप राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया हैं, जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
3. शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार ने अपनी समस्या से आयोग को अवगत कराया कि वर्ष 2019 में उन्होंने टी. जी. टी. इंग्लिश के लिए आवेदन किया था एवं उनके अंक आरक्षित श्रेणी से भी अधिक होने के बावजूद उन्हें आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया। इसके संबंध मैं मैंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार को दिनांक 19.11.2019 को पत्र भी लिखा था परंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
4. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार ने आयोग को अवगत करवाया कि उन्हें इस संबंध में वर्तमान समय में कोई जानकारी नहीं है एवं यदि शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार के अंक अनारक्षित श्रेणी के समान है तो अवश्य ही इन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा एवं इस मामले में अतिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

सुनवाई के उपरांत आयोग की अपेक्षाए:-

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह निर्णय लिया कि अतिशीघ्र ही माननीय उप राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त कर अधिसूचना जारी की जाए एवं श्री देवेन्द्र कुमार के मामले का अतिशीघ्र निपटान करके आयोग को 15 दिवस के भीतर कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

20/1/21
(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग